क्रम संख्या–54 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई0

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016

(अधिनियम संख्या 02 वर्ष, 2016)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 17 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005(जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 17 की वर्तमान उपधारा (11) के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

11(जज) पंजीयन आवेदन पत्र में घोषित बैंक खाते या खातों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य बैंक खाते या खातों के माध्यम से कारोबारी संव्यवहार प्रारम्भ किया जाता है या बैंक खाता बन्द किया जाता है; या

धारा 25 का संशोधन

3. ''मूल अधिनियम'' की धारा 25 की उपधारा (9) के शीर्षक व खण्ड (क), खण्ड (ङ), खण्ड (च) तथा खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक व खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात्–

(9) टैक्स ऑडिट तथा टैक्स ऑडिट कर निर्धारण:

(क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी व्यौहारी, जो इस प्रयोजन हेतु चयनित किया गया है, के अभिलेख, स्टॉक एवं इससे सम्बन्धित दस्तावेजों का टैक्स ऑडिट, व्यौहारी द्वारा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अथवा सावधिक तथा अन्तिम विवरणियों की शुद्धता और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ सहित विभिन्न दावों की ग्राह्यता का परीक्षण करने के लिये, किया जा सकता है,

परन्तु यह और कि किसी कर निर्धारण वर्ष के टैक्स ऑडिट हेतु किसी कर निर्धारण वर्ष के अन्त से पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी व्यौहारी का चयन नहीं किया जायेगा।

(ङ) टैक्स ऑडिट करने वाले अधिकारी को इस अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा उन्हें लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण अथवा प्रतिलिपियाँ लेने अथवा लिवाने, स्टॉक की फेहरिस्त, ऐसी सूचना अथवा विवरण, जो कि इस अधिनियम के अधीन

किसी कार्यवाही में लाभदायक अथवा प्रासंगिक हो, को लेने की शक्ति भी प्राप्त होगी। व्यौहारी ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को पूर्ण सहयोग और सहायता उपलब्ध करायेगा।

यदि व्यौहारी, टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित लेखा पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों से उद्धरण लेने अथवा प्रतिलिपियाँ, स्टॉक की फेहरिस्त लेने और टैक्स ऑडिट के प्रयोजन हेतु अपेक्षित सूचना अथवा विवरण प्राप्त करने से रोकता है अथवा बाधित करता है अथवा ऑडिट के अनुक्रम के दौरान ऑडिट पार्टी को सहयोग नहीं करता है तथा सहायता प्रदान नहीं करता है तो टैक्स ऑडिट का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक अनुपालन के लिये रु0 10,000/– तक का अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकता है। ऐसा कोई अर्थदण्ड व्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा। देयों की वसूली से सम्बन्धित प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के लिये लागू होंगे।

(च) टैक्स ऑडिट प्राधिकारी स्वयं द्वारा एकत्रित अथवा कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त;

(एक) पूर्व में पारित स्वतः कर निर्धारण या कर निर्धारण आदेश की पुष्टि कर सकता है; या

(दो) स्वतः कर निर्धारण या कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर सकता है और व्यौहारी के आवर्त एवं कर को पुनर्निर्धारित कर सकता है; या

(तीन) यदि कोई कर निर्धारण नहीं किया गया है तो व्यौहारी द्वारा दिये जाने वाले कर की राशि को निर्धारित कर सकता है;

परन्तु कोई कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण व्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अभिनिश्चित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन वाद की सुनवाई हेतु किसी व्यौहारी को तीन स्थगन से अधिक अनुमन्य नहीं होंगें;

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए परिसीमा काल हेतु इस अधिनियम की धारा 32 लागू रहेगी।

(छ) टैक्स ऑडिट प्राधिकारियों को कर निर्धारण अधिकारियों की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

धारा 29 में संशोधन

4. "मूल अधिनियम" की धारा 29 का शीर्षक व उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा (1) तथा इस उपधारा में खण्ड (घ) के बाद नया खण्ड (घघ) का जोड़ा जाना एवं उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक व उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

29. उस आवर्त, जिसका वर्ष के दौरान कर निर्धारण नहीं किया गया हो या कम दर से किया गया हो, निर्धारण करना :

(1) यदि किसी व्यौहारी के किसी वर्ष या उसके भाग के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कर अवधि के सम्बन्ध में व्यौहारी का सम्पूर्ण आवर्त या उसका कोई भाग;

(घघ) प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र के आधार पर, कर निर्धारण के दौरान, छूट अथवा रियायत प्रदान की गयी हो परन्तु तदुपरान्त् ऐसे प्रस्तुत घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र झूठे या गलत पाये जाये; या

(4) यदि कमिश्नर स्वयं या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर संतुष्ट है कि ऐसा करना न्यायोचित और समीचीन है, कर निर्धारक प्राधिकारी को इस निमित्त प्राधिकृत कर सकता है और इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण करने में मत परिवर्तन भी अन्तर्ग्रस्त हो, तो ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी किया जा सकता है किन्तु ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छः वर्ष की समाप्ति अथवा उस आदेश के दिनांक जिसका पुनः कर निर्धारण किया जाना हो, से चार वर्ष की समाप्ति, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

धारा 31 का निरसन

5. "मूल अधिनियम" की वर्तमान धारा 31 हटा दी जायेगी।

धारा 32(6) का निरसन

6. "मूल अधिनियम" की वर्तमान धारा 32(6) हटा दी जायेगी।

धारा 34 का संशोधन

7. "मूल अधिनियम" की धारा 34 की उपधारा (17) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (17क) जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

(17क) इस अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (14) के अधीन यदि कोई धनराशि, जो किसी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को दिया जाना अपेक्षित हो, परन्तु ऐसा व्यक्ति वह धनराशि अदा करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो देय राशि से अनधिक हो, दायी होगा।

धारा 34–क का अन्तःस्थापन

8. "मूल अधिनियम" की वर्तमान धारा 34 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 34–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

34–क. प्रथम प्रभार का दायित्व :

किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि, यदि कोई है, जो किसी व्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की जानी है, ऐसे व्यौहारी या व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।

धारा 51 में संशोधन

9. "मूल अधिनियम" की धारा 51 में

(एक) वर्तमान उपधारा (4) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (4क) जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

(4क) इस धारा में किसी अन्य बात के होते हुये भी,

(i) एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा विवादित कर या अर्थदण्ड की राशि का पाँच प्रतिशत या रूपये एक लाख की धनराशि, जो भी न्यूनतम हो, भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो;

(ii) एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश या अर्थदण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य आदेश के विरूद्ध की गयी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा विवादग्रस्त धनराशि का बीस प्रतिशत या रुपये पाँच लाख जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

(iii) किसी करमुक्ति या रियायती दर के आवर्त का घोषणा या प्रमाण पत्र, जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो या कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, के सम्बन्ध में अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्त्ता ने अस्वीकृत या प्रस्तुत नहीं किये गये ऐसे घोषणा या प्रमाण पत्र के आवर्त की राशि पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य कर की दर से कर के दस प्रतिशत के बराबर भुगतान का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

स्पष्टीकरण : उक्त धनराशि उपधारा (6) के अन्तर्गत दिये गये स्थगन की शर्तों के अतिरिक्त होगी।

(दो) वर्तमान उपधारा (8) के वर्तमान तीसरे प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्ध रख दिया जायेगा; अर्थात–

प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (ग) में दिये गये निर्देशों के उपरान्त पारित नये आदेश के विरूद्ध अपील करने पर पुनः खण्ड (ग) में नया आदेश पारित करने हेतु निर्देश नहीं दिया जायेगा।

धारा 53 में संशोधन

10. "मूल अधिनियम" की धारा 53 की वर्तमान उपधारा (8) का दूसरा प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा।

धारा 58 में संशोधन

11. "मूल अधिनियम" की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के खण्ड (xv) के के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

(1) (xv) प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये रूपये दस हजार से अनधिक धनराशि;

धारा 61 में संशोधन

12. "मूल अधिनियम" की धारा 61 की वर्तमान उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्दावली "6 वर्ष" के स्थान पर शब्दावली "8 वर्ष" रख दी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016
Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 02 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2016.

353/16

कारण एवं उद्देश्य

वर्तमान में ब्यौहारियों द्वारा जिन बैंक खातों के माध्यम से कारोबार का लेन–देन होता है, उन बैंक खातों को सम्बन्धित क0नि0 अधिकारियों को सूचित करने हेतु अधिनियम एवं नियम में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे ब्यौहारियों द्वारा कारोबार के सम्बन्ध में विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से किये गये लेने–देन की जांच की जा सकनी सम्भव नहीं है। उक्त जांच को सम्भव बनाने के उद्देश्य से धारा 17 की उपधारा (11) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2– टैक्स ऑडिट अधिकारी को प्रभावी बनाये जाने हेतु तथा नियमित कर निर्धारण में कतिपय महत्वपूर्ण वादों का निस्तारण अपेक्षित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण तथा detailing से करने के लिये टैक्स ऑडिट में कार्यरत अधिकारियों को कर निर्धारण अधिकारियों की शक्ति दिया जाना आवश्यक है ताकि वादों की जांच ऑडिट उपरान्त प्राप्त तथ्यात्मक सूक्ष्मता के साथ सम्पादित की जा सके। इस अनुक्रम में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 25 (9) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

3– विगत समय में फॉर्मों के सत्यापन नहीं होने के काफी मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं जो कालबाधित होने के कारण धारा 29(4) से आच्छादित नहीं हो पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में विधिक रूप से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने के कारण राजस्व की हानि होती है। अतः फॉर्मों के गलत पाये जाने पर पुनः कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान न होने के कारण धारा 29 के शीर्षक तथा उपधारा (1) में संशोधन कर स्पष्ट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार उपधारा (4) में पुनः कर निर्धारण की समयसीमा कर निर्धारण वर्ष से छः वर्ष तक करने के साथ–साथ कर निर्धारण आदेश पारित होने के चार वर्ष पश्चात् तक का प्रावधान किया गया है।

4– उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत वाद के एकपक्षीय निस्तारित होने के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा अनेक बार प्रार्थना पत्र पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण कार्यालय का समय एवं शक्ति उक्त वाद के निस्तारण में अनावश्यक रूप से व्यय होती है, जबकि राजस्व हित में उक्त का कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसके अतिरिक्त धारा 31 प्रार्थना पत्र अनिस्तारित रहने की दशा में बकाया वसूली स्थगित रहती है, जिसके कारण बकाया में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। अतः धारा 31 में कर निर्धारण अधिकारी की एकपक्षीय आदेश को पुनः सुनवाई हेतु खोलने की शक्ति को समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। धारा 32(6) में धारा 31 के अन्तर्गत खोले गये वाद के सम्बन्ध में समय सीमा नियत की गयी है जिसे समाप्त किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

5–वर्तमान में धारा 34(17) में ऐसे ब्यौहारी जिनके विरूद्ध बकाया है, सम्बन्ध में किसी अन्य संस्था यथा बैंक आदि के पास धनराशि होने पर उक्त बैंक आदि से जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा भेजे गये नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर अर्थदण्ड का प्राविधान करने के उद्देश्य से धारा 34 में उपधारा (17क) जोडा जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

6–ब्यौहारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किये जाने पर उसकी परिसम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार वाणिज्य कर विभाग का होने के उद्देश्य से ताकि राजस्व की समुचित सुरक्षा की जा सके, धारा 34क जोड़ा जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

डा0 इन्दिरा हृदयेश,
वित्त मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधायी/186–2016–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।